न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 46 / 2023

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कौशल्या देवी पत्नी मदनलाल जाति माली निवासी बेरा बन्दीया धन्धेड़ी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. चम्पालाल पुत्र नारायणलाल 2. मोहनलाल पुत्र नारायणलाल जाति मेघवंशी निवासी धन्धेड़ी तह0 सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. **श्री रमेश टांक अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।**
2. **श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 व 02 उपस्थित।**

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक :— 11/08/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम धन्धेड़ी पटवार हल्का मण्डला, तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 107 / 1007 रकबा 1.2100 है0 की कृषि भूमि में से आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी खसरा नंबर 59 रकबा 0.2800 है0 में पहुंचने का प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीया नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा धन्धेड़ी के खसरा नंबर 59 कृषि भूमि में से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 व 02 ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी खसरा नंबर 107 / 1007 में आने जाने हेतु पूर्ण रूपेण गलत एवं झूठी कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश की है, अप्रार्थीगण के वर्तमान खसरा नंबर 59 रकबा 0.2800 हैक्टर की कृषि भूमि आयी हुई है, जिसमें दोनो अप्रार्थीगण का 1 / 2—1 / 2 हक हिस्सा है जबकि खसरा नंबर पुराने 107 है जो बहुत लम्बा चौड़ा खसरा है जिसके पूर्व दिशा की तरफ खसरा नंबर 48 राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ता है जिसमे आने जाने हेतु खसरा नंबर 107 के पूर्व दिशा की तरफ लम्बा चौड़ा रास्ता पड़ा है खसरा नंबर 107 के ही खसरा नंबर 107 / 1007 एवं खसरा नंबर 107 / 1008 अलग अलग कायम हुए है। जब एक खसरें के दो खसरे होते है तो कानूनन पहले रास्ता छोड़कर बाद मे बंटवाड़ा होता है वर्तमान में मौके

उपखण्ड अधिकारी

पर खसरा नंबर 107/1008 के पूर्व दिशा की तरफ आने जाने हेतु प्रार्थीनी की मौके पर फाटक लगी हुई है जो फाटक खसरा नंबर 107/1008 के कहने पर रास्ते हेतु लगी हुई है जिसमे आने जाने हेतु खसरा नंबर 107/1007 में आराम से आना जाना रहता है इसलिये केवलमात्र आपसी द्वैषवश अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्णतः झूठी कार्यवाही पेश की है, खसरा नंबर 107/1007 में आने जाने हेतु मौके पर रास्ता विद्यमान है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 59 में से प्रार्थीनी को किसी प्रकार का कोई नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। विशेष उजरात में निवेदन किया कि प्रार्थीनी जाति से माली है एवं अप्रार्थीगण जाति से मेघवाल है, जो अनुसूचित जाति में आते है अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल के द्वारा पंचायत समिति सदस्य पारसमल के विरूद्ध पूर्व में चारागाह पर उगे हुए अंग्रेजी बबुल को जड़ से उखाड़ कर करीबन 18–19 लाख रूपये में बेचान कर दिया था जिसकी शिकायत अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय, पाली के समक्ष पेश की थी। जिस शिकायत पर जिला कलेक्टर महोदय पाली के आदेशानुसार पुलिस थाना सोजत सिटी में अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 आई.पी.सी. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 304/2022 पुलिस थाना सोजत सिटी में फौजदारी प्रकरण सरपंच ग्राम पंचायत मण्डला के द्वारा दर्ज करवाया गया था। जिस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल गवाह है इसी दुश्मनी से पंचायत समिति सदस्य पारसमल ने प्रार्थीया को उकसा कर तंग परेशान करने की नियत से यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार जवाब प्रा0पत्र पेश कर प्रार्थीया का प्रा0त्र सव्यय खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1844 दिनांक 19.12.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 अटपड़ा, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि ख0नं0 107/1007 के खातेदार कौशल्या देवी द्वारा ख0नं0 59 में से रास्ता चाहा गया हैं। निकटतम रास्ता ख0नं0 59 में से प्रस्तावित है, जिसे नजरी नक्शे में A TO B लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.0050 है0 और चौड़ाई 4 मी0 हैं। ख0नं0 59 चम्पालाल मोहनलाल पि0 नारायणलाल मेगवंशी के नाम से दर्ज है तथा नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाये स्थान पर एक पानी का टांका बना हुआ हैं। जो प्रस्तावित रास्ता के पूर्व–दक्षिणं में रहेगा। प्रस्तावित रास्ते पर मेहन्दी की फसल हैं। प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 12.5 मीटर × 4 मीटर = 0.0050 है0 हैं। ख0नं0 59 रकबा 0.2800 है0 में से 0.0050 है0 भूमि रास्ता दिया जाना प्रस्तावित हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 235000/– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (235000/– रू0 × 2 × 0.0050 है0 = 2350/– रूपये बनते

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत अटपड़ा की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम धन्धेड़ी के खसरा नम्बर 107/1007 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 59 में से दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थिया के खातेदारी ख0नं0 107/1007 में पहुंच हेतु मौके पर रास्ता विद्यमान है, जिससे रास्ते उपलब्ध होने से नया रास्ता नहीं दिया जा सकता हैं। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण से द्वेषभाव रखते हुए यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कतई स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं तथा अप्रार्थीगण द्वारा यह कहना कि मौके पर ख.नं. 107/1007 में पहुंच हेतु रास्ता विद्यमान होने संबंधी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटो से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त खसरा प्रार्थीया का है, अथवा अन्य का। तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 अटपड़ा, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 107/1007 में पंहुच हेतु निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी ख0नं0 59 में से ही प्रस्तावित किया गया हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम धन्धेड़ी पटवार हल्का मण्डला, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अटपड़ा तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 59 रकबा 0.2800 है0 कृषि भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 107/1007 रकबा 1.2100 है0 में पंहुचने हेतु

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (235000/— रू0 × 2 × 0.0050 है0 = 2350/— रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

क्र0सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01. 02.	59 बा0अ0	0.2800 है0	चम्पालाल पुत्र नारायणलाल 1/2 मोहनलाल पुत्र नारायणलाल 1/2 जाति मेगवंशी सा0 देह खातेदार	12.5 मी0× 4 मी0 = 0.0050 है0	1175/—रू 1175/—रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 11/08/2022 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)